न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री जब्बरसिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः— 13/2022

दायरा दिनांक :— 02.03.2022

वादीः—	बनाम	प्रतिवादीगणः—
1. विक्रमसिंह पुत्र श्री जेठूदान जी, कौम चारण, निवासी अणेवा तहसील देसूरी जिला पाली		1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील देसूरी जिला पाली

उपस्थितिः—

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

—:निर्णयः— दिनांक 16/12/2022

1. अपीलांट द्वारा यह अपील अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देसुरी के राजस्व प्रकरण संख्या 61/2021 अनवान सरकार बनाम श्यामसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2021 के विरूद्ध धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट, 1956 के तहत प्रस्तुत कि। अपील मयाद बाहर होने से अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।
2. अपील Subject to limitaion दर्ज रजिस्टर की जा कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकिय अधिवक्ता उपस्थित।
3. वकील अपीलाण्ट द्वारा लिखित जवाब पेश नही कर सिधे बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर राजकिय अधिवक्ता ने भी अपनी सहमति जाहिर की। बहस उभयपक्ष सूनी गई।
4. वकिल अपीलाण्ट द्वारा बहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आज्ञा पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को नोटिस नही दिया है जो नही देकर न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों पर गहरा कुठाराघात किया है। इस कारण उक्त निर्णय न केवल आदेशात्मक प्रावधानों के प्रतिकूल है बल्कि नैसर्गिग सिद्धान्तों के भी विपरीत होने से ऐसा निर्णय खारिज करने योग्य है।
5. वकिल अपीलाण्ट ने दुसरा तर्क दिया कि ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर 262 रकबा 0.80 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकीन पहाड़ जो खसरा नम्बर 261 की चिपती कृषि भूमि है, जिस दोनों खसरे पर आज दिन तक अपीलाण्ट व अपीलाण्ट के भाई धनसिंह का कब्जाकाश्त है और दोनों खसरों का आज दिन तक सीमाज्ञान नही होने से इस भूमि को खसरा नम्बर 261 ही मान रहे थे और खसरा नम्बर 261 व 262 का रकबा 1.81 हैक्टेयर है, जिस पर अपीलाण्ट व अपीलाण्ट का भाई काबिज है। अपीलाण्ट ने खसरा नम्बर 261 के संबंध में अपने भाई के साथ अपील कर रखी है, जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी दे रखा है। स्थगन आदेश की प्रति तहसीलदारजी को दिनांक 02.03.2022 को पेश की, तब पता लगा कि खसरा नम्बर 262 की अलग से टी.पी. दर्ज की हुई है, जिस पर अपीलाण्ट ने उक्त अपील आज रोज पेश कर रहा है।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

6. वकिल अपीलाण्ट ने तीसरा तर्क दिया कि अपीलाण्ट का कब्जा सवत् 2062 से आज दिन तक लगातार चला आ रहा है। अपीलाण्ट भूमिहीन है, उक्त भूमि को समतल तक खाद मिट्टी डालकर उपलाउ बनाया है। राज्य सरकार की मंशा अनुसार सन् 2005 के पहले से जो भी कब्जे है और व्यक्ति भूमिहीन है तो उसको भूमि का नियमन किया जावे, लेकिन अधिनस्थ नायब तहसीलदार ने अपीलाण्ट के पक्ष में नियमन की सिफारिश नही करके अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो एकतरफा आदेश ने वर्ष 1977 में एक परिपत्र भी जारी किया, जिसमें अगर जमींन की किस्म पहाड़ी भी है तो उसको काबिल काश्त अगर जमींन मौके पर है तो उसको उसकी किस्म बदलकर नियमन करने के भी आदेश दे रखे है, फिर भी अपीलाण्ट को उक्त नियमन करने की सिफारिश नही करके बेदखल का आदेश दिया है जो आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

7. वकिल अपीलाण्ट ने चौथा तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2021 को पारित किया है वो मशीनरी प्रोसेस में रिक्त स्थान भरे है और इसी तरह का नोटिस भी इस कदर का ही है। जो बिना विवके लगाए अपीलाधीन आदेश है, उसे खारिज करना न्यायसंगत है।

8. वकिल अपीलाण्ट ने पांचवा तर्क दिया कि हल्का पटवारी ने दिनांक 28.09.2021 को टी.पी दर्ज की, मौके पर तिल की फसल बोना बताया, तारीख 30.09.2021 को टी.पी. रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष पेश होती है जो प्रकरण कब दर्ज किया है, ऐसी कोई तारीख उल्लेखित नहीं है और वो भी प्रिन्ट आदेश में लिखा है, उसके बाद अनुपस्थिति में आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विरूद्ध है।

9. वकिल अपीलाण्ट ने छठा तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश के बारे में जानकोरी दिनांक 02.03.2022 को तब हुई जब अपीलाण्ट ने खसरा नम्बर 261 के संबध में स्थगन आदेश की प्रति अधिनस्थ नायब तहसीलदार को दी, तो उन्होने खसरा नम्बर 262 के संबध में भी बेदखली आदेश बताया तो तुरन्त प्रभाव से नकल आवेदन संख्या 13 पेश की, जो तारीख 02.03.2022 को ही नकल प्राप्त हुई, उसमें स्पष्ट रिपोर्ट आयी है कि अपीलाण्ट अणेवा में हाजिर नही है व पीण्डवाड़ा रहता है, मकान ताला बन्द है, फिर भी अपीलाण्ट को बेदखली का कोई नोटिस ही नही दिया है, इस कारण जानकारी से अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद पेश है।

अन्ततः वकिल अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमावें तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधिन आदेश दिनांक 20.10.2021 को मय खर्चा खारिज फरमावें तथा अपीलाण्ट भूमिहीन हैं, जिनके पक्ष में उक्त भूमि को नियमन कराने के लिए भू आवंटन समिति के समक्ष उक्त प्रकरण को सिफारिश कराते हुए पेश करने का आदेश प्रदान करावें।

10. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकिय अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलाण्टस द्वारा ग्राम अणेवा पटवारी हल्का लाम्पी तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 262 रकबा 0.80 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन पहाड़ भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा था। इस पर कार्यवाही करते हुए न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् प्रकरण संख्या 61/2021 दर्ज किया गया। तत्पश्चात न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा अपीलाण्ट को सूनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.10.2021 को अपीलाण्ट को बेदखल करने का निर्णय पारित किया गया। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.10.2021 विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाई जावें।

अति. जिला कलक्टर (स्थानिय)
पाली (राज.)

11. राजकिय अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं उस भूमि कि किस्म वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार गैर मुमकिन पहाड़ हैं, जो नियमन की श्रेणी में नहीं आती हैं। अतः इस आधार पर भी उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं होने से अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज योग्य हैं।

12. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों एवं अभिलेखों का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत, स्थापित, रेकर्ड से पुष्ट होता हैं कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक पः 6(7)राज–4/77/2 दिनांक 10.01.2013 में उल्लेखित हैं कि जिस व्यक्ति के पास कुल भूमि जिसमें नियमित की जाने वाली भूमि भी सम्मिलित हैं, 04 हैक्टेयर असिंचित भूमि से अधिक न हो तो उसे भूमि नियमन की जा सकति हैं, लेकिन राजकिय अधिवक्ता का यह कथन भी स्वीकृत, स्थापित, रेकर्ड से पुष्ट हैं कि अपीलाण्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं उस भूमि कि किस्म वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार गैर मुमकिन पहाड़ हैं, जो नियमन की श्रेणी में नहीं आती हैं।

13. यह हैं कि प्रकरण में वकिल अपीलाण्ट का यह कथन भी स्वीकृत, स्थापित, रेकर्ड से पुष्ट हैं कि अपीलाधीन आज्ञा पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट/गैर सायल को व्यक्तिगत तौर पर नोटिस दिया जाना आदेशात्मक प्रावधान है। जैसा कि धारा 91 (3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में प्रावधान दे रखा है। जबकि अधिनस्थ न्याायायल नायब तहसीलदार देसूरी के प्रकरण संख्या 61/2021 के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होता हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्टस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना केवल मात्र एक तारीख पेशी पर ही अपीलाधिन निर्णय पारित किया गया। जिससे स्पष्ट होता हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार अपिलाधिन आदेश पारित नहीं किया हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 61/2021 में पारित अपीलाधिन निर्णय दिनांक 20.10.2021 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता हैं।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता हैं तथा अपील आंशिकरूप से स्वीकार की जाति हैं। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 61/2021 में पारित आदेश दिनांक 20/10/2021 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार अपीलाण्ट को साक्ष्य–सबूत पेश करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही करें। बाद पालना पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 16/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)